486

संख्या– /XVI-1/ 5/5(2013 T.C

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1

देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2016

विषयः–केन्द्र पोषत प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना(PMKSY) के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिये वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के साथ–साथ उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–2491/लेखा/PMKSY/2015-16, दिनांक–30 अक्टूबर 2015, पत्र संख्या 2772/PMKSY/2015-16, दिनांक–14 दिसम्बर 2015 एवं कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के तीन पत्र संख्या 20–13/2015–Hort. समदिनांकित 16 अक्टूबर 2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र पोषत प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना(PMKSY) के अन्तर्गत योजना सूक्ष्म सिचाई (Restructured) हेतु चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष सामान्य अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति मदों में अवमुक्त केन्द्रांश एवं केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि निम्न सारणीनुसार आपके निर्वतन पर कम्प्यूटर आई–डी सहित रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

धनराशि लाख में

क्रमांक	मद संख्या	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	सामान्य	273.00	28.84	**301.84**	
2	अनुसूचित जाति	66.50	7.05	**73.55**	
3	अनुसूचित जनजाति	10.50	1.12	**9.00**	**केन्द्रांश**
	कुल योग	**350.00**	**37.01**	**384.39**	

(Rupees Three Crore Eighty Four Lakh Thirty Nine Thousand Only)

(1) उक्त प्राविधानित धनराशि का व्यय करते समय कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 20–9/2014–Horti दिनांक 16 अक्टूबर 2015 में निहित समस्त प्राविधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा योजना हेतु स्वीकृत कार्ययोजना मानकों एवं मदों एवं वित्तीय अनुपात प्रावधानों के अनुसार किया जाय जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्तिच किया जाय।

(2) योजनान्तर्गत अवमुक्त उपरोक्त राज्यांश धनराशि को केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुपात(केन्द्रांश एवं राज्यांश) के अनुसार ही नियमानुसार अवमुक्त किया जाय। जिन मदों में राज्यांश धनराशि का व्यय किया जाय उसके सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित व्यय मदों में मानक इत्यादि के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हों। यदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त नहीं है तो राज्यांश की धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(3) उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में यदि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं से सम्बन्धित योजनाओं का भी समावेश किया गया हो, तो इस सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि सम्बन्धित सभी औपचारिकताऐं यथा योजना/कार्य की नियमानुसार

क्रमशः.....2

स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो, तथा डी0पी0आर0 टी0ए0सी0, ई0एफ0सी0, नियोजन विभाग से परिव्यय की उपलब्धता इत्यादि औपचारिकताऐं पूर्ण है।

(4) उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–400/XXVII (1)/2015,दिनांक–1 अप्रैल, 2015, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2010 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों एवं प्राविधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(6) निर्माण कार्यो के लागत व वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल 2012 के सम्बन्धित प्रस्तरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(8) निदेशक उद्यान उक्त धनराशि प्राथमिकता के आधार पर समुचित प्रकियानुसार नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन, को उक्त धनराशि नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। **अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत केवल केन्द्रांश धनराशि बजट प्रावधान की सीमान्तर्गत निर्गत की जा रही है। अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश धनराशि बजट प्रावधान न होने के कारण वर्तमान में अवमुक्त किया जाना संभव नहीं है। नोडल अधिकारी चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जाने वाली अवशेष धनराशि के सापेक्ष समुचित प्रावधान कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक उद्यान के माध्यम से ससमय यथोचित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेगें।**

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–29, 30 एवं 31 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

(10) यह आदेश पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

संख्या– 2058 /XVI-1/15/5(7)/13TC, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहदादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राज्य योजना आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10–नोडल अधिकारी रा0सू0सिं0मि0राजकीय उद्यान सर्किट हाऊस देहरादून।
11–गार्ड फाईल।

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।